पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 17)

[28 मार्च, 2002]

पासपोर्ट अधिनियम, 1967
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 है।

(2) यह 23 अक्तूबर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1967 का 15

नई धारा 10क और धारा 10ख का अंत:स्थापन।

2. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पासपोर्टों या यात्रा-दस्तावेजों का कतिपय दशाओं में निलंबन।

"10क. (1) धारा 10 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार या किसी अभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज को परिबद्ध किए जाने या परिबद्ध कराए जाने या प्रतिसंहृत किए जाने की संभावना है और ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है तो वह चार सप्ताह से अनधिक की अवधि के लिए,—

(क) आदेश द्वारा, किसी पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज को तुरन्त प्रभावी रूप से निलंबित कर सकेगी या कर सकेगा;

(ख) ऐसा अन्य समुचित आदेश पारित कर सकेगी या कर सकेगा जिसके प्रभाव से कोई पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज अविधिमान्य हो जाएगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार या अभिहित अधिकारी, यदि वह समुचित समझे तो आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, चार सप्ताह की उक्त अवधि को धारा 10 के अधीन पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज में फेरफार या उसके परिबद्धकरण या प्रतिसंहरण से संबंधित कार्यवाहियों के समाप्त होने तक बढ़ा सकेगी या सकेगा:

परन्तु यह और कि पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज के ऐसे प्रत्येक धारक को, जिसकी बाबत इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया था, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से संगणित आठ सप्ताह से अपश्चात् की अवधि के भीतर सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और तब केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक हो तो लिखित आदेश द्वारा, इस उपधारा के अधीन पारित आदेश को उपांतरित या प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) अभिहित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों की, किसी विमान पत्तन पर या पोतारोहण या आप्रवास के किसी अन्य स्थान पर, संबद्ध प्राधिकारी को और पासपोर्ट प्राधिकारी को तुरन्त संसूचना देगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए आदेश के प्राप्त होते ही ऐसे आदेश को तुरन्त प्रभावी करेगा।

प्रज्ञापना का विधिमान्यकरण।

10ख. केन्द्रीय सरकार या अभिहित अधिकारी द्वारा, पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पूर्व किसी विमान पत्तन पर या पोतारोहण या आप्रवास के किसी अन्य स्थान पर किसी आप्रवास प्राधिकारी को धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज के किसी धारक के भारत से प्रस्थान को निर्बंधित या किसी भी रीति से प्रतिषिद्ध करते हुए दी गई प्रत्येक प्रज्ञापना, धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन आदेश समझी जाएगी और ऐसा आदेश पासपोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ की तारीख से या ऐसी प्रज्ञापना देने की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन मास की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा।

स्पष्टीकरण-धारा 10क और धारा 10ख के प्रयोजनों के लिए ''अभिहित अधिकारी'' पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा, उस रूप में अभिहित अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है।'।

निरसन और व्यावृत्ति।

3.(1) पासपोर्ट (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2001 का अध्यादेश 11

(2) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।